न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 113/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

एस.एम.एफ.जी. इण्डिया होम फाईनेंस कम्पनी लिमिटेड (पूर्व नाम फुलर्टन इंडिया होम फाइनेन्स कम्पनी लि.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी विरेन्द्र सिंह राठौर

पंजीकृत कार्यालयः– मेघ टावर तृतीय तल, पुराना नं. 307, नया नं. 165, पूनामल्ली हाई रोड़, मधुरावोयल, चैन्नई–600095 तमिलनाडू

कॉर्पोरेट कार्यालयः– छठा तल, बी विंग सुप्रीम आई.टी पार्क सुप्रीम सिटी, पवई, मुम्बई–400076

क्षेत्रीय कार्यालयः– केसर मॉल, प्रथम तल, प्लॉट नं. 115–ए, अपैक्स मॉल के सामने, टोंक रोड़ जयपुर

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **अशोक कुमार पुत्र नरोत्तम सियाग**
   प्रथम पताः– निवासी ग्राम ढांढण, जिला सीकर राजस्थान 332302
   द्वितीय पताः– प्लाट नं. 351, वार्ड नं. 18, साई नगर, श्यामपुरा का रास्ता, पालवास रोड, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान 332001
2. **संजू कुमारी पत्नी अशोक कुमार**
   प्रथम पताः– निवासी ग्राम ढांढण, जिला सीकर राजस्थान 332302
   द्वितीय पताः– प्लाट नं. 351, वार्ड नं. 18, साई नगर, श्यामपुरा का रास्ता, पालवास रोड, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान 332001

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 30 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री बी.पी. गुप्ता** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **अशोक कुमार पुत्र नरोत्तम सियाग** एवं **संजू**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

कुमारी पत्नी अशोक कुमार की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **संजू कुमारी पत्नी अशोक कुमार** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **प्लॉट नं. 351, वार्ड नं. 18, साई नगर, श्यामपुरा का रास्ता, पालवास रोड़, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 87.21 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 30 फीट, पश्चिम दिशा में अन्य का प्लाट, उत्तर दिशा में प्लाट नं. 352 एवं दक्षिण दिशा में प्लाट नं. 350 स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹30,00,000/– (अक्षरे रूपये तीस लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **17.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **17.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।?

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **अशोक कुमार पुत्र नरोत्तम सियाग** एवं **संजू कुमारी पत्नी अशोक कुमार**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **संजू कुमारी पत्नी अशोक कुमार** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **प्लॉट नं. 351, वार्ड नं. 18, साई नगर, श्यामपुरा का रास्ता, पालवास रोड़, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान 332001** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 87.21 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 30 फीट, पश्चिम दिशा में अन्य का प्लाट, उत्तर दिशा में प्लाट नं. 352 एवं दक्षिण दिशा में प्लाट नं. 350 स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **30 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर